अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

कजोड़ी बनाम टोडा आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 57/2018 दावा निर्णय दिनांक 09.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री आनंद राड़** मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेन्द्रसिह शेखावत मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0अ0 /2021/410 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सें जारी की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1.	सागरमल पुत्र बन्नाराम हिस्सा 1/3 कजोडी देवी धर्मपत्नि सागरमल हिस्सा 2/3 जाति जाट सा0 दुल्हपुरा	922/1	1.2150	बा–2	4.86
2.	टोडाराम पुत्र हेमाराम जाति कुमावत सा0 देह खातेदार	922/2	0.4050	बा–2	1.62
3.	गापेाल पुत्र पीथा हिस्सा 1/4 राहिन बी.आर.के.जी.बी. करड	922/3	0.1100	बा–2	0.44
		921	1.5100	बा–2	6.04
	रामचन्द्र पुत्र पीथा हिस्सा 1/4 राहिन पी.एन.बी. दांतारामगढ पार्वती धर्म पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 1/8 नन्दाराम पुत्र पीथा हिस्सा 3/8 राहिन बी.आर.के.जी.बी. करड	किता–2	1.6200		6.48

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अम्ल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2021 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बद्दजलाल अशोक कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 57/2018/दावा

1 कजोडी देवी पत्नि सागरमल जाति जाट निवासीनी दुन्लोपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 सागरमल पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी दुन्लोपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

बनाम

1 टोडाराम पुत्र हेमाराम

2 पार्वतीदेवी पत्नि रामचन्द्र

3 रामचन्द्र

4 नंदाराम } पुत्रगण पीथाराम

5 गोपाललाल }

जाति कुमावत समस्त निवासीगण कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

6 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

7 बी.आर.के.जी. बैंक शाखा डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

8 पी.एन.बी बैंक शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

9 पटवारी पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

10 उप–पंजीयन दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

11 तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बटंवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़, वकील वादीगण ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर सें।
3. प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ